

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1135-INGRAHAM POLYTECHNIC, HAPUR ROAD, GHAZIABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	40	40
2	INFORMATION TECHNOLOGY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप. समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की

सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021
/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, INGRAHAM POLYTECHNIC, HAPUR ROAD, GHAZIABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश नगरिका**

संख्या:- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक 16-9-2020

->कार्यालय द्वारा->

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय अखिल शिक्षण नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक शिक्षा 2020-21 हेतु शिक्षण परीक्षा तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संयोजक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आचार्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संयोजक की अध्यक्षता में शिवाजी भवन में बैठक प्रदान हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि वर्ष 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा संस्थानों को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार/प्राथमिक/उच्च शिक्षा वृद्धि समिति अन्य सभी पर विचार करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसमें अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध्याह्न 14 से क्रियान्वित इन सभी प्राथमिक स्थापित करने वाले पूर्व से सम्बद्ध संस्थानों को प्रदान करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा माध्यम विस्तार-विस्तार का निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जिनके द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संस्था में स्थापित पूर्व प्राथमिकों में कठिनायें पाठ्यक्रमों की प्रवेश समता में संबोधनी किये जाने का अनुरोध किया गया है, वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विचार किया गया एवं वर्ष-2020-21 हेतु एआईसीटीआईएन द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त के अनुरोध में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आचार्य सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय एवं परामर्श निर्णय के अनुरोध में जिस संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संयोजक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता जारी के अंतर्गत परामर्श एवं कार्य अंतर्गत प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	एआईसीटीआईएन/द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	1722	श्रीमान, प्राथमिक, उत्तर प्रदेश (सं. प्राथमिक)	सम्बद्धता समिति, एवं संयोजक, लखनऊ एवं संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा वृद्धि समिति, लखनऊ। संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।	अ ब क द ए

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीआईएन/प्राथमिक/उच्च द्वारा निर्धारित की शर्तें जारी का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों 1982, विनियम विनियमों-2016 तक अन्य निर्मित विधियों एवं कार्यवाही का अनुपालन करेगी तथा शिवाजी भवन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क हीन वार्षिक शुल्क प्राथमिकों हेतु रु० 30,100.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए प्राथमिक हेतु रु० 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों प्राथमिकों से प्राथमिक परीक्षा परीक्षा के अंतर्गत हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रवेश प्रवेश/प्रवेश के लिए किन्हीं कारणों, परीक्षा के प्रतिवर्ष प्रवेश/प्रवेशों में शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर शासन द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्राथमिक समिति द्वारा हीन और अनुपालन सम्बन्धी किये जाने आवश्यक होगा। प्रवेश विचार समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु प्रवेश का अनुमोदन किया जाता है तो प्रवेश की परीक्षाएं परे लागू होगी।
- ✓ संस्था को लखनऊ प्राथमिक शिक्षा समिति तथा एवं समिति, लखनऊ को सम्बद्ध किये जाने, विनियमों-2016 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था से संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिए जायेंगे। सीटों की संख्या नई प्राप्त की विधियों में जारी प्रवेश प्रदान की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेंगी।
- ✓ संस्था को समझ-बूझ पर निर्मित प्राथमिकों के अनुपालन विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

(Handwritten signatures)

- ✓ संस्था को ए0आईएसीआईसीए/पिओआईआईके से अंतरांगी तौर हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाता अद्यतन होना।
- ✓ संस्था कायदा प्रदेश कानून द्वारा बनाई गये शिक्षा/विश्व/कौशल/कलेजिएट/निदेशों एवं विदेशक प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, एनएच लोक प्रविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा ब्रह्मर्षे गण नियमन विनियमन, आदेशों, निर्देशों का अमल करने का तिवर बंध्य होगी।
- ✓ शिक्षा विद्वान् एन आईसी पाठ्याङ्कम की अन्वयण यदि सीपीआई, आई दिल्ली से अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त पाठ्याङ्कमिन्न संस्था का होगा और शिक्षक तथा वे शिक्षा की अयोग्यता को ज्ञात कराया एवं अद्यतनकारी होगी। प्राथमिक शिक्षा, बहिष्कार, संयुक्त प्रवेश परीक्षा विनियम प्राथमिक शिक्षा निर्देशक तथा एन प्राथमिक शिक्षा विनियम अमल प्रदेश शासन को कोई बाधा पहुंचा किया जाता है तथा अपने कार्य में बाधा में न्यस्योत्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को प्रवर्गी होगी।
- ✓ शिक्षा विद्वान् एन आईसी पाठ्याङ्कम समाप्ति करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रदेश एनएनएम द्वारा प्रेषक एवं के लिए आयोगिका प्रेषक परीक्षा हेतु अल्पनिर्दिष्ट प्राप्त होने के पूर्व कोलीअनकों में अनुपालन प्राप्त कर परिषद अयोग्यता को उपरतक बनाने होगा अन्वयण एवं प्रेषक की अल्पनिर्दिष्ट के साध्य से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रेषक अनुगामी नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्चतर प्रदेश कानून द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नहीन्त्यम अद्यतन निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त अनुमान जैसे संस्था की ऐतिहासिक नृविद्युति, स्टाफ, पाठक-शाखा, उपाध्यक्ष, प्रेषक विनियम वाले कानून मुख्य, अयोग्यता मुख्य आदि का निम्न अद्यतन करना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु समर्पण का उपाध्यक्ष अथवा प्रधान के साथ उचित कानून के अन्वयण में उच्चतर अयोग्यता अथवा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ कानून का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रवर्तित/संगठित पाठ्याङ्कम को समस्त जाने हेतु निर्दिष्ट संस्थित हो संस्था उपाध्यक्ष अथवा गुरु अथवा अन्य, नृवि-अथवा नृवि-अथवा उपाध्यक्ष इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्याङ्कम की संस्था में प्रेषक किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपाध्यक्ष का प्रांग किसी अन्य कार्य के लिए तब रहीं है तो तत्वात संस्था की समस्तता समस्त विद्युत जान की अनुपालन को प्रवर्गी।
- ✓ समस्तता कर्तव्य का अनुपालन न किये जाने अथवा कर्तव्य का अल्पअन किये जाने को विद्युत में निम्नानुसार अनुपालन अयोग्यता की जायेगी।

(नि: आर०सं० वि०)
साधन

सूचक- प्राथम/परिषद समन्वय/2020/ 1972-5141

तददिनांक 18-08-2020

प्रतिनिधि-आयतन/निदेशक, उपाध्यक्ष अयोग्यता, संयुक्त विद्व, बहिष्कार।

(नि: आर०सं० वि०)
साधन

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 16-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

“ परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2019-20 से संस्था में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों को बंद किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इन पाठ्यक्रमों में पूर्व से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का डिप्लोमा उत्तीर्ण होने तक पठन-पाठन से संबंधित समस्त कार्यवाही संस्था द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों को अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1135	इन्फोसिस कॉलेज, हापुर रोड, पाणिसागर-201021	मार्केट बॉकेस सिस्टम एवं सेकेंडरि डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एवं इन्फोसिस कॉलेज	40	40
			मार्केट बॉकेस सिस्टम एवं सेकेंडरि डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एवं इन्फोसिस कॉलेज	40	40
			मार्केट बॉकेस सिस्टम एवं सेकेंडरि डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एवं इन्फोसिस कॉलेज	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम भी अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रामाणी होने और तदनुसार कार्रवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उद्योग प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उद्योग समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने) विनियमनकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त हो जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था की समग्र-समग्र पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 10000000000 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधे/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ क्रिप्लोग्रा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विभिन्न रूप से किराी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर दाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग इवेंट होने के पूर्व पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग से माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नौगहन आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्तिभूमि, स्थापना, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रीगिंग रोकने के समकाल में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अतिरिक्त, भूमि-स्वयं, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में धरोर किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तम संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने कबला शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

o/c (संजीव कुमार सिंह)
राजिव

सू०सं०- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तार दिनांक: 15-5-2019

प्रतिलिपि:- प्रवक्ताध्याय/निदेशक, इन्स्ट्रुमण्ट माली, सप्तपुर रोड, गाजियाबाद- 201001

o/c (संजीव कुमार सिंह)
राजिव